

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 285/2019

दायर दिनांक 06.12.2019

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मदनलाल उम्र 78 वर्ष आम मुखत्यारनामा बोदुराम पुत्र श्री मदनलाल । 2. सीताराम उम्र 72 वर्ष 3. हजारीलाल उम्र 68 वर्ष 4. औंकार लाल उम्र 61 वर्ष 5. बंशीलाल उम्र 58 वर्ष 6. गुलाबचन्द उम्र 51 वर्ष 7. बनों देवी पुत्री स्व. जैरामदास उम्र 65 वर्ष सभी पुत्रगण जैरामदास निवासीगण आस की ढाणी तहसील डीडवाना, जिला-नागौर (राज)।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर (राज)।

दावा बाबत्
 घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
 अन्तर्गत धारा- 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी, वादी।

--: निर्णय :-

दिनांक 08.10.2021

वादी का खातेदारी खेत खसरा सं० 50 रकबा 1.8600 हैक्टर, खसरा सं० 51 रकबा 1.8200 हैक्टर, खसरा सं० 62 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा सं० 75 रकबा 0.3500 हैक्टर, खसरा सं० 76 रकबा 0.0200 हैक्टर, गै.मु. चाह खसरा सं० 78 रकबा 1.5100 हैक्टर, खसरा सं० 81 रकबा 1.8600 हैक्टर कुल खसरा खसरा सं० 8 एवं कुल रकबा 7.4800 हैक्टर एवं खसरा संख्या 466 रकबा 1.97 हैक्टर वाके सरहद थाणु व आस की ढाणी में वादी व प्रतिवादी के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 08.02.2021 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

राजस्व लोक अदालत: प्रशासन गांवों के संग, कोर्ट कैम्प-थाणु में प्रकरण पेश हुआ। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 268 दिनांक 16.03.2021 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 268 दिनांक 16.03.2021 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।


सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)



—: आदेश :-

अतः दावा डिक्री सादिर कर खेत खसरा सं० 50 रकबा 1.8600 हैक्टर, खसरा सं० 51 रकबा 1.8200 हैक्टर, खसरा सं० 62 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा सं० 75 रकबा 0.3500 हैक्टर, खसरा सं० 76 रकबा 0.0200 हैक्टर, गै.मु. चाह खसरा सं० 78 रकबा 1.5100 हैक्टर, खसरा सं० 81 रकबा 1.8600 हैक्टर कुल खसरा खसरा सं० 8 एवं कुल रकबा 7.4800 हैक्टर एवं खसरा संख्या 466 रकबा 1.97 हैक्टर वाके सरहद थाणु व आस की ढाणी की भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 268 दिनांक 16.03.2021 थाणु व आस की ढाणी की भूमि के विभाजन प्रस्ताव अनुसार, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 268 दिनांक 16.03.2021 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-मावा

निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 कोर्ट कैम्प-मावा में सुनाया गया।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-मावा

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 285/2019

दायर दिनाँक 06.12.2019

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मदनलाल उम्र 78 वर्ष आम मुखत्यारनामा बोदुराम पुत्र श्री मदनलाल । 2. सीताराम उम्र 72 वर्ष 3. हजारीलाल उम्र 68 वर्ष 4. औंकार लाल उम्र 61 वर्ष 5. बंशीलाल उम्र 58 वर्ष 6. गुलाबचन्द उम्र 51 वर्ष 7. बनों देवी पुत्री स्व. जैरामदास उम्र 65 वर्ष सभी पुत्रगण जैरामदास निवासीगण आस की ढाणी तहसील डीडवाना, जिला-नागौर (राज)।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर (राज)।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 88, 188 R.T.Act.


दिनाँक 08.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी
मिनजानिब मुददई श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी, वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर
हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर खेत खसरा सं0 50 रकबा 1.8600
हैक्टर, खसरा सं0 51 रकबा 1.8200 हैक्टर, खसरा सं0 62 रकबस 0.0300
हैक्टर, खसरा सं0 75 रकबा 0.3500 हैक्टर, खसरा सं0 76 रकबा 0.0200 हैक्टर,
गै.मु. चाह खसरा सं0 78 रकबा 1.5100 हैक्टर, खसरा सं0 81 रकबा 1.8600
हैक्टर कुल खसरा खसरा सं0 8 एवं कुल रकबा 7.4800 हैक्टर एवं खसरा संख्या
466 रकबा 1.97 हैक्टर वाके सरहद थाणु व आस की ढाणी की भूमि का
"बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर,
तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 268 दिनाँक 16.03.2021
थाणु व आस की ढाणी की भूमि के विभाजन प्रस्ताव अनुसार, पक्षकारान् को स्वतन्त्र
खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 268 दिनाँक 16.03.2021 निर्णय एवं
डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा
करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.10.2021 को सरे
इजलास में जारी की गयी।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

नोट:—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायकी क्लर्क
 डी.डवाना (भागौर)